न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

भंवराराम व अन्य

बनाम

ओमप्रकाश इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री युवराज विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री विक्रमसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से चार
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पांच

आदेश

दिनांक 09 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 151/2024 अनवान ओमप्रकाश बनाम बाली इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10 मार्च 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण ग्राम बिराई तहसील बावड़ी, के खसरा संख्या 159/2 रकबा 3.2360 हैक्टेयर के खतोदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट्स खसरा संख्या 159 रकबा 2.3057 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 159/1 रकबा 2.4170 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व में दिनांक 10.11.2023 को माननीय तहसीलदार बावडी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 02/2023 अन्तर्गत धारा 183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर पड़ौसी खातेदारों के द्वारा किये गये कब्जा को मुक्त कराने बाबत प्रस्तुत किया गया था। माननीय तहसीलदार बावड़ी ने रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 से 04 का अवैध रूप से कब्जा

साबित मानते हुए रेस्पोडेण्टगणों को उनके बताये गये पक्के मकानों तथा मकान के सामने सुविधाजनक रास्ता की भूमि छोड़ते हुए शेष भूमि से रेस्पोडेण्टगण संख्या 01 से 04 को हटाकर अपीलार्थीगणों को सुपुर्द करने का आदेश दिनांक 07/06/2024 को पारित फरमाया गया। तहसीलदार बावड़ी के आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या हिराराम के द्वारा माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के समक्ष दिनांक 08/07/2024 को धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें रेस्पोडेण्टगणों के पक्ष में उक्त अपील में आज दिनांक तक स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है एवं न ही उक्त अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के द्वारा बहस की गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 को माननीय एडीएम जोधपुर से सफलता नहीं मिलने के कारण उक्त झूठा वाद मातहत अदालत के समक्ष उपरोक्त सभी तथ्यो को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगणों के द्वारा अपने जवाब में उक्त सभी तथ्यों को अंकित किया गया एवं इनके समर्थन में दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये, लेकिन मातहत अदालत के द्वारा अपीलार्थीगणों के दस्तावेजों पर ध्यान केन्द्रित किये बिना रेस्पोडेण्ट्स के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से माननीय तहसीलदार बावड़ी के आदेश दिनाक 07/06/2024 की पालना रुक गई है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 159 एसवं 159/1 रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है जो स्वतंत्र सीमाओं से

आबद्ध है। अपीलांट को रेस्पोडेंट्स की भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अद्यतन जमाबंदी संवतः 2074-2077 जमाबंदी 2073 ग्राम बिराई के मुताबिक अपीलांट्स खसरा नंबर 159/2 रकबा 3.2360 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेंट्स खसरा नंबर 159 रकबा 2.3057 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 159/1 रकबा 2.4270 हैक्टेयर के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमियॉ पृथक-पृथक सीमाओं से आबद्ध होकर तरमीम सुदा है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बावड़ी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 02/2023 अनवान भंवराराम बनाम हीराराम में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स का अपीलांट्स की भूमि खसरा नंबर 159/2 पर अतिचार पाये जाने से तहसीलदार बावड़ी द्वारा रेस्पोडेंट्स के मकान तथा मकान के सामने सुविधाजनक रास्ता की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि से रेस्पोडेंट्स के कब्जा को हटाने के निर्देश दिये गये है। रेस्पोडेंट हीराराम द्वारा तहसीलदार बावड़ी के उक्त आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर उसे चुनौती दी गई है, जहां से कोई प्रभावित जारी का दस्तावेज रेस्पोडेंट्स पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय में मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है जो सद्भाविक नहीं है। रेस्पोडेंट्स को अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि पर अतिचार करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश

	पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 मार्च 2025 निरस्त किया जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	